न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

उपस्थित :– **(वीरेन्द्र कुमार चौबे)**
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
–सह विशेष न्यायाधीश, किशोर न्यायालय,
मधेपुरा ।

A.B.P. No.-160/2026
मुरलीगंज थाना कांड सं.–362/2023

1- पिन्टु उर्फ नीतीश यादव उर्फ नीतीश कुमार उम्र करीब 22 वर्ष पिता ललन यादव
2- सिन्टु यादव उर्फ सिन्टू कुमार उम्र करीब 20 वर्ष पिता ललन यादव
(दोनों साकिन–तमौट परसा वार्ड नं.–09, थाना–मुरलीगंज, एवं जिला–मधेपुरा) .....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....ओ.पी.।

07-03-2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण **पिन्टु उर्फ नीतीश यादव उर्फ नीतीश कुमार, सिन्टु यादव उर्फ सिन्टू कुमार** के द्वारा मुरलीगंज थाना कांड सं.–362/2023 अन्तर्गत धारा 341,323,324,379,307,354ए,504,506/34 भारतीय दंड़ विधान में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव को दी जा चुकी है।

सूचक उदयनन्द यादव के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–30.08.2023 को समय करीब 8.30 बजे सुबह में टुनटुन यादव, ललन यादव, संजय उर्फ झबर यादव, जगदीश यादव, पिंटू यादव पिंटू उर्फ नीतीश यादव, सिंटू यादव, ललटू कुमार, मंटू कुमार, सिंटू कुमार एवं 4–5 अज्ञात व्यक्ति उसके दरवाजे के सामने अपने कल तथा गढा का गंदा पानी बराबर बहाता रहता है मना करने पर एक मत होकर उसके दरवाजे पर आकर उसे कुछ पुरानी दुश्मनी को लेकर उसकी भाभी तेतरी देवी को टुनटुन यादव, ललन यादव, ललटू यादव तीनों मिलकर अपने हाथ में लिए लोहे का खंती से माथा पर मारकर फोड़ दिया जो लहू लहान हो गयी तथा उसके भतीजा विनोद कुमार को कारी यादव लोहे की कुदाली से जान मारने की नियत से वार किया, जिससे उसका अंगूठा कट गया। काफी खून बहने लगा। उसी कम में अन्य सभी मिलकर उसके पुतोहू भारती देवी जो सात माह की गर्भवती है को भी पेट में लात फाईट से मारपीट किया। मारपीट के क्रम में भारती देवी के कान से बाली 8 आना कीमत करीब 32000/–रूपया का छीन लिया तथा घर में रखे बक्से जिसमें 15000/–रूपया नगद तथा कीमती कपड़ा निकाल लिया। हल्ल पर अगल–बगल के लोग दौड़कर आये तथा घर में आग लगा देने की धमकी देते हुए भाग गया। ग्रामीण के सहयोग से सभी जख्मी को मेडिकल कॉलेज में ईलाज कराने जाते समय रास्त में फिर से सभी मिलकर गाड़ी घेरकर मारपीट किया। इलाजरत रहने के कारण बिलब से आवेदन दिये। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुरलीगंज थाना कांड सं.–362/2023 अन्तर्गत धारा 341,323,324,379,307,354ए,504,506/34 भारतीय दंड़ विधान में प्राथमिकी दर्ज किया गया।

7/3/26

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रकांत झा, द्वारा यह अभिवाचित किया गया है कि प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है तथा ऐसा कोई घटना कारित नहीं किया है जैसा कि प्राथमिकी में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फूसाया गया है। उभय पक्ष आपस में पड़ोसी है और चापाकल का गंदा पानी बहाने को लेकर उभय पक्षों

07-03-2026
लगातार.........

के बीच वाद विवाद और थोड़ा झड़प हुआ था लेकिन सूचक द्वारा को गंभीर बनाने के नियत से मारपीट का गलत आरोप लगाया गया है जबकि उक्त घटना में कुछ अभियुक्तगण भी जख्मी हुआ है। उक्त घटना को लेकर अभियुक्त ललन यादव के तरफ से भी मुरलीगंज थाना में दिनांक– 07.09.2023 को धारा 341,323,324,379,307,354बी,504,506/34 भारतीय दंड़ विधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिसका नंबर मुरलीगंज थाना कांड संख्या–372/2023 है। उपरोक्त वाद में सभी धाराएँ सामान्य है सिवाय धारा 307 भारतीय दंड़ विधान को छोड़कर। प्राथमिकी के परिशीलन से धारा 307 भारतीय दंड़ विधान का कोई केस नहीं बनता है और उक्त धारा केस को गंभीर बनाने के नियत से दिया गया है। प्रार्थीगा का नियत कभी भी जान मारने का नहीं रहा था और जान मारने का प्रयास भी नहीं किया गया था। प्राथमिकी काफी बिलम्ब से दर्ज की गयी है। घटना की तिथि 30.08.2023 है जबकि प्राथमिकी दिनांक–02.09.2023 को दर्ज किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय को पर्याप्त राशि का एवं संतोषप्रद निजी बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने को तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

बिहार सरकार के विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव, द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए कहा गया कि आवेदक अभियुक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के टंकित आवेदन, कांड़ दैनिकी का अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक उदयनंद यादव के दरवाजे पर जाकर उसकी भाभी तेतरी देवी को लोहे की खंती से माथा पर मारकर सर फोड़ कर लहूलुहान कर देने का आरोप है। अभियुक्तों पर सूचक के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपी कर जख्मी करने का आरोप है। जख्मीयों का इलाज मेडिकल कॉलेज में कराने की बात कही गयी है। कांड़ दैनिकी के पैरा–5 में वादी ने अपने पुनः बयान में तथा कांड़ दैनिकी के पैरा–9,20,21 में साक्षी साक्षी भारती, साहेन्द्र यादव एवं समतोलिया देवी ने घटना का समर्थन किया तथा अभियुक्तों द्वारा लोहे की खंती से तेतरी देवी के सर पर मारकर जख्मी करने की बात कही। कांड़ दैनिकी के पैरा–26 में संयुक्त पर्यवेक्षण टिप्पणी में अभियुक्तों के विरूद्व धारा 307 भारतीय दंड़ विधान के अलावे अन्य धाराओं में भी मामला सत्य पाया गया है। कांड़ दैनिकी के पैरा–52 जख्मी तेतरी देवी एवं विनोद कुमार के जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है जिसमें जख्मी के जख्म के संदर्भ में वर्णन नहीं किया गया है तथा NCCT of Head कराये जाने की बात कही गयी है। पूर्व में सह अभियुक्त टुनटुन यादव का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1717/23 दिनांक– 30.4.2024 को खारिज किया गया है। वाद अभी अनुसंधान अन्तर्गत है।

वाद के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण **पिन्टु उर्फ नीतीश यादव उर्फ नीतीश कुमार, सिन्टु यादव उर्फ सिन्टू कुमार** को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरूप आवेदक अभियुक्तगण **पिन्टु उर्फ नीतीश यादव उर्फ नीतीश कुमार, सिन्टु यादव उर्फ सिन्टू कुमार** का अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र खारिज किया जाता है। **आवेदक अभियुक्तगण यदि चाहे तो निम्न न्यायालय में आत्म–समपर्ण कर नियमित जमानत हेतु याचना कर सकते हैं।**

लेखापित

Virendra Kr Chaubey 7/3/26

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।